

an>

Title: Need to shift headquarters of Coal India Limited from Kolkata to Jharkhand.

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): नियम 377 के माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि देश का 38 प्रतिशत कोयले का उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। झारखंड के 24 जिलों में से 15 जिलों में कोयला का उत्पादन क्षेत्र है। ओडिसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम एवं पश्चिम बंगाल में कोयले का उत्खनन कार्य होता है परन्तु सबसे ज्यादा झारखंड में उत्खनन होता है। अधिकांश कोयला उत्पादन का संचालन एवं प्रबंधन झारखंड राज्य में होता है परन्तु कोल इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। मुख्यालय कोलकाता में होने के कारण कोयले का राजस्व झारखंड को मिलने की बजाए पश्चिम बंगाल को मिलता है जो सरासर अन्याय है। साथ ही मुख्यालय कोलकाता में होने के कारण झारखंड के युवा वर्ग को भी रोजगार नहीं मिल पाता है। कोयला इंडिया लिमिटेड का कार्यालय कोलकाता में रहने और अधिकांश उत्पादन झारखंड में होने से सी. आई. एल. कोयले की खानों का कार्य और उत्पादन कार्य पर अच्छे ढंग से निगरानी नहीं कर पाता है और न ही कोयला खानों में सुरक्षा के नियमानुसार नियम लागू हैं। कोलकाता के मुख्यालय रहने से सी. आई. एल. के राजस्व का अधिकांश भाग बेकार में खर्च हो रहा है।

सरकार से अनुरोध करता हूं कि कोल इंडिया लिमिटेड का कार्यालय कोलकाता से हटाकर कोयले के उत्पादन वाले जिले में स्थापित किया जाए जो देश के संतुलित विकास के लिए आवश्यक है।